

बिहार सरकार
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

पत्रांक :-1/एम0-1-119/2012:..... 244

प्रेषक,

राजेन्द्र प्रसाद सिंह,
संयुक्त सचिव ।

E-mail/
FAX
निबंधित

सेवा में,

सभी मुख्य अभियंता (असैनिक/यांत्रिक)
सभी अधीक्षण अभियंता (असैनिक/यांत्रिक)
सभी कार्यपालक अभियंता (असैनिक/यांत्रिक),
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार ।

पटना, दिनांक- 10, 4/15

विषय-वर्ष-2015 के लिए राज्य गैर असैनिक सेवा के पदाधिकारियों को चयन द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा में नियुक्ति के संबंध में ।

प्रसंग- विभागीय पत्रांक-228, दिनांक-31.03.2015

महाशय,

निदेशानुसार विषयांकित विभागीय पत्रांक-228, दिनांक-31.03.2015 के क्रम में उपर्युक्त विषयक सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-2604, दिनांक-18.02.2015 अनुलग्नक सहित संलग्न करते हुए कहना है कि उक्त पत्र में निर्धारित शर्तों के अधीन भारतीय प्रशासनिक सेवा में नियुक्ति के इच्छुक पदाधिकारी अभियंत्रण क्षेत्र या किसी अन्य क्षेत्र में विशिष्ट कार्य/ उपलब्धि आदि का विवरणी देते हुए अपना बायोडेटा विशिष्ट योग्यता से संबंधित प्रमाण पत्र, विशिष्ट कार्य के लिए अनुशंसा पत्र/ प्रस्सति पत्र आदि यदि हो तो संलग्न करते हुए विहित प्रपत्र में पूर्ण विवरण सहित अपना आवेदन दिनांक-20.04.2015 के अपराह्न 05:00 बजे तक विभागीय मुख्यालय में उपलब्ध कराये ताकि योग्य पदाधिकारियों की वर्ष-2015 के लिए राज्य गैर असैनिक सेवा के पदाधिकारियों को चयन द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा में नियुक्ति हेतु विभागीय अनुशंसा सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को भेजी जा सकें। वांछित सूचना लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के E-mail पर भेज सकते हैं। संबंधित पूर्ण विवरणी एवं विहित प्रपत्र P.H.E.D के Website पर भी उपलब्ध है।

अनुरोध है कि उक्त आशय की सूचना अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों को भी अपने स्तर से देंगे।
अनु0-यथोपरि।

विश्वासभाजन

(राजेन्द्र प्रसाद सिंह)
संयुक्त सचिव

ज्ञापांक- 244

पटना, दिनांक- 10, 4, 15

प्रतिलिपि-आई0टी0 मैनेजर, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

(राजेन्द्र प्रसाद सिंह)
संयुक्त सचिव

बिहार सरकार
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

पत्रांक :-1/एम0-1-119/2012.....²²⁸

प्रेषक,

राजेन्द्र प्रसाद सिंह,

संयुक्त सचिव ।

E-mail/
FAX
निर्बंधित

सेवा में,

सभी मुख्य अभियंता (असैनिक/यांत्रिक)

सभी अधीक्षण अभियंता (असैनिक/यांत्रिक)

सभी कार्यपालक अभियंता (असैनिक/यांत्रिक),

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार ।

पटना, दिनांक- 31.3.15

विषय-वर्ष-2015 के लिए राज्य गैर असैनिक सेवा के पदाधिकारियों को चयन द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा में नियुक्ति के संबंध में ।


महाराज,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-2604, दिनांक-18.02.2015 अनुलग्नक सहित संलग्न करते हुए कहना है कि उक्त पत्र में निर्धारित शर्तों के अधीन भारतीय प्रशासनिक सेवा में नियुक्ति के इच्छुक पदाधिकारियों अपना बायोडेटा विशिष्ट योग्यता से संबंधित प्रमाण पत्र यथा अभियंत्रण क्षेत्र में किये गये विशिष्ट कार्यों के लिए अनुशंसा पत्र/ प्रस्तुति पत्र आदि संलग्न विहित प्रपत्र में पूर्ण विवरण सहित अपना आवेदन दिनांक-06.04.2015 के अपराह्न 05:00 बजे तक विभागीय मुख्यालय में उपलब्ध कराये ताकि योग्य पदाधिकारियों की वर्ष-2015 के लिए राज्य गैर असैनिक सेवा के पदाधिकारियों को चयन द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा में नियुक्ति हेतु विभागीय अनुशंसा सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को भेजी जा सके। वांछित सूचना लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के E-mail पर भेज सकते हैं। विहित प्रपत्र P.H.E.D के Website पर भी उपलब्ध है।

साथ ही आपसे अनुरोध है कि उक्त आशय की सूचना अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों को भी अपने स्तर से भी दें।

अनु0-यथोपरि।

विश्वासभाजन


(राजेन्द्र प्रसाद सिंह)
संयुक्त सचिव

C.N!-68679/15

पत्र संख्या : 1/सी0-1007/2015-सा0प्र0- 2604/

बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

आर0 लक्ष्मणन,
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

सभी प्रधान सचिव/सचिव/विभागाध्यक्ष, बिहार, पटना
निबंधक, पटना उच्च न्यायालय, पटना।

पटना-15, दिनांक : 18 फरवरी, 2015

विषय:-

चयन वर्ष, 2015 के लिए गैर-राज्य असैनिक सेवा के पदाधिकारियों की चयन द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा में नियुक्ति।

महाशय,

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि भारतीय प्रशासनिक सेवा (मर्ग) नियमावली, 1954 के नियम-8(2) तथा भा0प्र0से0(चयन द्वारा नियुक्ति) विनियमावली, 1997 के नियम-4 के आलोक में ऐसे स्थायी राजपत्रित पदाधिकारी विशेष परिस्थिति में भा0प्र0से0 में चयन द्वारा नियुक्ति के लिए विचारणीय हैं, जो (1) बिहार प्रशासनिक सेवा/बिहार वन सेवा/बिहार आरक्षी सेवा के पदाधिकारी नहीं है, (2) उत्कृष्ट योग्यता और गुण के हैं, (3) दिनांक 01.01.2015 (प्रथम जनवरी दो हजार पन्द्रह ई0) को 54 वर्ष के नहीं हुए हों तथा (4) अधिष्ठाई हैसियत से राजपत्रित पद पर लगातार न्यूनतम 8 वर्षों का अनुभव रखते हैं।

2. विषयगत नियुक्ति सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार पटना के संकल्प, ज्ञापांक-4900, दिनांक 02.04.2012 के आलोक में अपेक्षित होगी। इस हेतु 02(दो) रिक्तियों के निर्धारण का प्रस्ताव भारत सरकार प्रेषित है। भारत सरकार द्वारा रिक्तियों के निर्धारण के उपरान्त ही मागले में किसी प्रकार की अग्रतर कार्रवाई प्रत्याशित होगी।

3. अनुरोध है कि अपने विभाग के नियंत्रणाधीन विषयगत राजपत्रित पदाधिकारियों में से कंडिका-1 में विनिर्दिष्ट योग्यताओं के अनुरूप योग्यतम 02(दो) पदाधिकारियों का चयन निम्नलिखित शर्तों, बंधेजों एवं औपचारिकताओं के अनुरूप पूर्ण करते हुए आवश्यक कागजातों सहित भारतीय प्रशासनिक सेवा में चयन हेतु प्रस्ताव विचारार्थ भेजने की कृपा की जाय:-

(क) प्रत्येक विभाग में एक चयन समिति गठित की जाय। इस चयन समिति के अध्यक्ष विभागीय प्रधान सचिव/सचिव होंगे। उनके अतिरिक्त समिति में दो अन्य सदस्य रहेंगे जिनमें से एक, विभागीय प्रधान/सचिव द्वारा ही मनोनीत किसी अन्य विभाग के अपर सचिव या उच्चतर स्तर के पदाधिकारी होंगे तथा दूसरे, उक्त विभाग के ही अधीन कोई विभागाध्यक्ष होंगे (यदि कोई हो तो) अन्यथा विभाग के ही कोई वरीय पदाधिकारी होंगे;

(ख) अनुशंसित पदाधिकारी नियमानुसार अवश्य ही उत्कृष्ट योग्यता एवं गुण/दक्षता के हों तथा उनके विरुद्ध प्रथमदृष्टया कोई आरोप प्रमाणित भी नहीं हो;

(ग) पदाधिकारियों के पूर्ण एवं सुस्पष्ट सेवा-इतिहास (जो संयुक्त सचिव से अन्यून स्तर के पदाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित हों) के अलग पृष्ठ (Sheet) अनिवार्य रूप से संलग्न किये जायें;

(घ) उनकी वार्षिक गोपनीय अभ्युक्तियों की विवरणी प्रतिवेदन, समीक्षा एवं स्वीकरण प्राधिकारी-ग्रेडिंग सहित विवरणी का अलग पन्ने संलग्न किये जायें, साथ ही अद्यतन एवं पूर्ण

मेल

01/02/15

सं.स.

AA

001

26/2/15

27/2/15

27/2/15

Check List

Sl. No.	Information/ Information's to be mentioned	Remarks
1	Whether the date of birth, date of continuous appointment in the qualifying grade and date of confirmation in service of the concerned officer/officers furnished to GAD is true and verified with official records	
2	Whether the name and date of birth of officer/officers sent to GAD have tallied with the seniority list and in case of any variation reasons and factual position should be mentioned in brief	
3	Whether integrity of concerned officer/officers is unquestioned	
4	Whether duly signed Statement of disciplinary proceedings, criminal proceedings, adverse remarks and consolidated statement of the officer in Annexure 4.1 (A & B) 4.2, 6 and 3.4-A furnished	
5	Whether any court matter / directions are pending against the concerned officer / officers	

Signature of the competent Authority

With Name and Designation.

29

Bio-Data off Non SCS Officers

1. Name of Officer-
2. Date of Birth-
3. Educational Qualification-
4. Whether belongs to SC/ST/OBC-
5. Date of confirmation in Gazetted Posts-
6. Present Post held-
7. (i) Date of appointment to the post which has been declared equivalent to the post of Dy. Collector in the State Civil Service-
(ii) Name of the post-
(iii) Whether holding the post substantively and the date since when-

8. Details of Gazetted Post held-

S.No.	Name of the posts held	Category of the posts	Period	Scale of pay	Duties (in Brief)

9. Achievement in Brief (Including publications if any)-

10. Training undergone-

Signature

Name-----

Designation -----

28

(1)

Annexure-4.1-A

(A) Details of Disciplinary Proceeding Pending Against Eligible Officers				
Sl. No	Name of officers/Merit List	Date of Issue of Charge Sheet to the Officers	Brief facts and nature of charges	Present Status
1	2	3	4	5

Signature of the Competent Authority
with name and designation

Annexure-4.1-B

(A) Details of Criminal Proceeding Pending Against Eligible Officers				
Sl.No	Name of officers/Merit List	Date of Issue of Charge Sheet to the Officers	Brief facts and nature of charges	Present Status
1	2	3	4	5

Signature of the Competent Authority
with name and designation

Annexure-4.2

Details of Penalties Imposed on Eligible Officers During The last 10 Years								
Sl. NO	Name of officers/Merit List	Year in which offence is committed	Date of issue of Charge Sheet	Date on which penalty imposed	Nature of Penalty	Period of Currency of the penalty and the date when the currency of penalty will be over	Whether any appeal has been filed and if so whether there is any interim stay.	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Signature of the Competent Authority
with name and designation

Certificate regarding communication of Adverse Remarks in respect of eligible Officers.

Name of the concerned officer-

Designation-

Name of the Service to which the officer belongs-

1. Adverse remarks in the character rolls of the following eligible officers have not been communicated by the State Govt. to the officers concerned.

Sl. No.	Name (S/Shri)	Period
---------	---------------	--------

2. Adverse entries in respect of the following eligible officers have been communicated but no representations have been so far received from the officers concerned but the time limit to represent is not yet over.

Sl. No.	Name (S/Shri)	Period
---------	---------------	--------

3. Representations against adverse entries in respect of the following officers have been received within the stipulated time but the decision of the State Government is yet to be taken.

Sl. No.	Name (S/Shri)	Period
---------	---------------	--------

4. Representations against adverse entries in respect of the following officers have been received within the stipulated time & decision of the State Government has been taken in this regard.

Sl. No.	Name (S/Shri)	Period
---------	---------------	--------

Signature of the Competent Authority
with name and designation

**Consolidated Statement of Non-State Civil Service Officers for Consideration for
appointment to the IAS as on 1st January of the Select List Year-2013.**

Sl. No	Name of officers (S/Sh)	Whether SC/ST/OBC	Date of Birth	Post held (Declared equivalent to the post of Dy. Collector in the State Civil Service)	Whether the post held is Gazete and in substantive capacity. if so, the date of confirmation in that post.	Pay Scale of the Post (Declared equivalent to the post of Dy. Collector in the State Civil Service)	Remarks	
						Pay of the declared equivalency	present pay of the Officer concerned	Present Posting

Signature

Name-----

Designation-----

(22) (88) 152

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग
संकल्प

विषय:— भारतीय प्रशासनिक सेवा (चयन द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1997 के अंतर्गत गैर-राज्य असैनिक सेवा के पदों को उपसमाहर्ता के पद की समकक्षता संबंधी अधिघोषणा के संबंध में।

माननीय कैंट, (पटना पीठ), रांची द्वारा ओ०ए० संख्या-221/01 तथा माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा सी०डब्ल्यू०जे०सी० संख्या-10616/2010 में पारित न्यायादेश में विषयगत विभागीय संकल्प संख्या-2178 दिनांक 21.04.2001 को निरस्त किये जाने के आलोक में उक्त विभागीय संकल्प को निम्न प्रकार से संशोधित किया जाता है:—

1. उक्त संकल्प की कंडिका-1 के द्वितीय पारा में अंकित—

‘बिहार वन सेवा’, ‘बिहार आरक्षी सेवा’ एवं ‘राज्य प्रशासनिक सेवा’ से भिन्न अन्य राज्य सेवाओं एवं संवर्गों के 10,000—15,200/—रूपए के वेतनमान तथा उच्चतर वेतनमान वाले पदों पर कार्यरत पदाधिकारियों के कर्तव्य तथा दायित्वों को देखते हुए इन वेतनमान के पदों को भारतीय प्रशासनिक सेवा (चयन द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1997 की धारा-4 के उद्देश्यार्थ राज्य सिविल सेवा के उपसमाहर्ता के समकक्ष घोषित किया जाए। इस वेतनमान वाले पदों एवं इससे उच्चतर वेतनमान वाले पदों पर कुल मिलाकर कम-से-कम आठ वर्षों की सेवा होने के उपरान्त ही संबंधित पदाधिकारी इस विनियम के अन्तर्गत भारतीय प्रशासनिक सेवा में चयन द्वारा नियुक्त होने के विचार क्षेत्र में आ सकते हैं”

के स्थान पर

‘बिहार वन सेवा’, ‘बिहार आरक्षी सेवा’ एवं ‘राज्य प्रशासनिक सेवा’ से भिन्न अन्य राज्य सेवाओं एवं संवर्गों के 8,000—13,500/—रूपये का अपुनरीक्षित वेतनमान (पुनरीक्षित वेतनमान पे० बैंड-3, रू० 15,600—39,100+ग्रेड पे०-रू० 5,400/—) तथा उच्चतर वेतनमान के पदों को भारतीय प्रशासनिक सेवा (चयन द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1997 की धारा-4 के उद्देश्यार्थ राज्य सिविल सेवा के उपसमाहर्ता के पदों के समकक्ष घोषित किया जाय। इस वेतनमान वाले पदों एवं इससे उच्चतर वेतनमान वाले पदों पर कुल मिलाकर कम-से-कम आठ वर्षों की सेवा होने के उपरान्त ही संबंधित पदाधिकारी इस विनियम के अन्तर्गत भारतीय प्रशासनिक सेवा में चयन द्वारा नियुक्त होने पर विचार क्षेत्र में आ सकते हैं”।

2. यह निर्णय तात्कालिक प्रभाव से लागू माना जायेगा।

6

THE INDIAN ADMINISTRATIVE SERVICE (APPOINTMENT BY SELECTION) REGULATIONS, 1997

In exercise of the powers conferred by section 3 of the All India Services Act, 1951 (61 of 1951) and in pursuance of sub-rule (2) of rule 8 of the Indian Administrative Service (Recruitment) Rules, 1954 and in supersession of the Indian Administrative Service (Appointment by Selection) Regulations, 1956, except as respects things done or omitted to be done before such supersession the Central Government in consultation with State Governments and the Union Public Service Commission, hereby makes the following regulations, namely:-

1. Short title and commencement-

- (1) These regulations may be called the Indian Administrative Service (Appointment by Selection) Regulations, 1997.
- (2) They shall come into force on the first day of January, 1998.

2. Definitions- In these regulations, unless the context otherwise requires:-

- (a) "Committee" means the Committee as constituted under regulation 3 of the Indian Administrative Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1956;
- (b) "Promotion Regulations" mean the Indian Administrative Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1956;
- (c) "Recruitment Rules" means the Indian Administrative Service (Recruitment) Rules, 1954; and
- (d) Words and expressions used herein and not defined but defined in the Indian Administrative Service (Recruitment) Rules, 1954 and Indian Administrative Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1956, shall have the meanings respectively assigned to them in those Rules and Regulations.

3. Determination of vacancies to be filled: - The Central Government shall, in consultation with the State Government concerned, determine the number of vacancies for which recruitment may be made under these regulations each year. The number of vacancies shall not exceed the number of substantive vacancies, as on the first day of January of the year, in which the meeting of the Committee to make the selection is held.

4. State Government to send proposals for consideration of the Committee.- (1) The State Government shall consider the case of a person not belonging to the State Civil Service but serving in connection with the affairs of the State who,

- (i) is of outstanding merit and ability; and
- (ii) is not a travelling person in a casual office capacity; and
- (iii) has completed not less than three years of continuous service under the State Government on the first day of January of the year in which his case is being considered in the